भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2066
14 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

अधिकृत और अनधिकृत बस्तियां

2066. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री विनायक भाऊराव राऊत

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अधिकृत और अनधिकृत बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पूछताछ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अनधिकृत आवासों को नियमित करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई क्षेत्रों में दैनिक आधार पर अनधिकृत बस्तियां बस रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश भर में सभी अनधिकृत बस्तियों को समय पर नियमित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की अनधिकृत बस्तियों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (च): 'भूमि और कालोनीकरण' राज्य का विषय है। मांगा गया डेटा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का मामला संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

जहां तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) का प्रश्न है, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की नीति दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। दिनांक 29.10.2019 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम, 2019" के तहत सूचीबद्ध 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण/सुधार हेतु सा.आ. 1014(अ) दिनांक 08.03.2022 द्वारा अधिसूचित अनधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड लागू हैं।

तदनुसार, दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या हस्तांतरण/बंधक अधिकार प्रदान करने के लिए पीएम-उदय (प्रधानमंत्री - दिल्ली आवास अधिकार योजना) योजना शुरू की गई थी। 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची इस लिंक पर उपलब्ध है- https://dda.gov.in/sites/default/files/pmuday/1731_uc.pdf।

(छ): जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रश्न है, भविष्य में इस तरह की अनधिकृत बस्तियों के विस्तार की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और इनके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।